

**In the Court of D.A.J.-I, Gopalganj.**

**Tr.-47/2012**

**सरकार बनाम नागेन्द्र यादव एवं अन्य**  
**जादोपुर थाना कांड संख्या 51/2011 से सृजित**

	<b>आदेश फलक</b>	
24.11.2025	<p>सभी 02 अभियुक्त 1. नागेन्द्र यादव एवं 2. रविन्द्र यादव दोनों पिता— अशर्फी यादव, साकिन धर्मपुर, थाना—जादोपुर, जिला—गोपालगंज अनुपस्थित है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 05.05.2025 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है। उक्त अजमानतीय अधिपत्र का तामिला इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।</p> <p>कार्यालय आदेश फलक की प्रति थानाध्यक्ष जादोपुर को इस आशय से निर्गत करे कि वह अभियुक्तगण को गिरफ्तार करे अथवा तामिला प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश का पालन नहीं किये जाने पर 1000/—रूपये अर्थदण्ड लगाया जायेगा अविलम्ब अपना कारण—पृच्छा दाखिल करे कि क्यों नहीं उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया गया एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी।</p> <p>वाद दिनांक 19.01.2026 वास्ते उपस्थिति।</p> <p>(लेखापित)</p> <p>D.A.J.-I</p> <p><b><u>ज्ञापांक.....दिनांक 24.11.2025</u></b> प्रतिलिपि—थानाध्यक्ष जादोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत।</p> <p>D.A.J.-I</p>	